

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कॉर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पंकज शर्मा (R.A.S.)

शंकरा ..... उनवान  
बनाम ..... रतन लाल

दावा बाबत :- 88-89-188 RTI  
मुकदमा नम्बर :- 27/2018  
निर्णय दिनांक :- 03/05/2018

राजस्व लोक अदालत अभियान  
न्याय आपके द्वार - 2016

वादी की ओर से शंकरा ..... की व प्रतिवादी की ओर से रतन लाल ..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03/05/2018 को पंकज शर्मा (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, राशमी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा चिलौडिया परवार हल्का सोमबालो का खेता नं० राशमी की विवाहित आवेगीयात आ० सं० 176, 184, 186, 187, 375 का व्यापक शंकरा पिता रतन लाल के 1/3 हिस्से का खातेदार फलतफार घोषित किया जाता है।  
शेष बहस्तूर। ..... खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 03/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



पंकज शर्मा  
(पंकज शर्मा)  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी, जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़